गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं

1030. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के संबंध में गुजरात सरकार द्वारा कितने प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ख) अभी तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है; और

(ग) इस संबंध में कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई थी और सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 में वित्तीय सहायता के लिये गुजरात सरकार के माध्यम से प्राप्त 3 प्रस्तावों में से दो प्रस्ताव अर्थात् (1) गुजरात उद्योग निगम के उत्पादों के विपणन के लिये 7 कृषि पार्लरों की स्थापना और (2) गांडवी और जूनागढ़ में स्थित फल प्रसंस्करण यूनिटों में भंडारण सुविधाओं की स्थापना/वृद्धि को मंजूरी दी गई थी और क्रमशः 1 लाख रुपये तथा 6 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। फलों के गूदे की बड़ी मात्रा में खराब न होने वाली पैकिंग के लिये एक्विटी भागीदारी के तीसरे प्रस्ताव के बारे में गुजरात कृषि उद्योग निगम से स्पष्टीकरण मांगे गये हैं।

चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 में ट्रना और दूसरी मछलियों के प्रसंस्करण के लिये वित्तीय सहायता हेतु गुजरात कृषि उद्योग निगम से एक और प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण

1031. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्केटिंग एण्ड बिजनेस एसोसिएशन ने प्रसंस्करण सुविधाओं के संबंध में एक सर्वेक्षण करने के पश्चात् यह पाया है कि देश में प्रति वर्ष 3000 करोड़ रुपये के फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार इन फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण के लिये क्या कदम उठाना चाहती है;

(ग) क्या सरकार का इस कार्य के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को कुछ प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) यद्यपि ऐसी कोई प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है, यह अनुमान किया जाता है कि अपर्याप्त फसलोत्तर रखरखाव और प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी और उत्पादकों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं और ताजे फलों और सब्जियों के बाजारों के बीच संपर्क न होने से प्रतिवर्ष लगभग 3000 करोड़ रुपये के फलों और सब्जियों की बर्बादी होती है। फलों और सब्जियों की बर्बादी के आकलन के लिये विपणन एवं व्यापार संघ द्वारा किये गये किसी सर्वेक्षण के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। सरकार ने फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं और शीत-भण्डारण की स्थापना और उन्हें सुदृढ करने तथा फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण के लिये सहायता देने की अनेक स्कीमें तैयार की हैं।

(ग) और (घ) फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा अनेक प्रोत्साहन दिये गये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक लाइसेंस नीति को उदार बनाना, विदेशी एक्विटी भागीदारी के लिये स्वतः अनुमोदन, विदेशी तकनीशियनों की सेवाएं किराये पर